

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास - चम्पालाल जीनगर, आर०ए०एस०

परिवाद संख्या - 14/2024
प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1 नरेन्द्र पुत्र प्रभु राम निवासी वार्ड नम्बर 6, हॉस्पिटल रोड, कुचेरा, कचरास नागौर।
मैसर्स:- महालक्ष्मी किराणा एवं जनरल स्टोर, निम्बडी चौराहा, कुचेरा नागौर।
- 2 दिनेश बंग निवासी हाथी चौक, नागौर।
मैसर्स:- दिनेश एजेन्सी, एम. जेटा मार्केट, नागौर।

आदेश

दिनांक : 28.03.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02-08-2023 को मैसर्स महालक्ष्मी किराणा एवं जनरल स्टोर, निम्बडी चौराहा, कुचेरा नागौर पर खाद्य पदार्थ गाय का घी (रघु श्री ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2464 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1140/एक्ट/2023/1157 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ गाय का घी (रघु श्री ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं Contravens होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण नरेन्द्र पुत्र प्रभु राम निवासी वार्ड नम्बर 6, हॉस्पिटल रोड, कुचेरा कचरास नागौर तथा दिनेश बंग निवासी हाथी चौक, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 05-02-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.03.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से घी का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, मैंने उक्त घी मैसर्स दिनेश एजेन्सी, एम. जेटा मार्केट नागौर के यहां से खरीदा था। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स महालक्ष्मी किराणा एवं जनरल स्टोर, निम्बडी चौराहा, कुचेरा नागौर के यहां से गाय के घी का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त घी मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था। अप्रार्थीगण ने भविष्य में घी बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1140/एक्ट/2023/1157 दिनांक 08.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (रघु श्री ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं Contravens होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 नरेन्द्र पुत्र प्रभु राम निवासी वार्ड नम्बर 6, हॉस्पिटल रोड, कुचेरा कचरास नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 दिनेश बंग निवासी हाथी चौक, नागौर पर संयुक्त रूप से रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

28/3/24
(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)